

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक / /2017

प्रति,

मुख्य अभियंता

1. महानदी परियोजना, रायपुर।
2. महानदी गोदावरी कछार, रायपुर।
3. हसदेव कछार, बिलासपुर।
4. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर।
5. हसदेव गंगा कछार, अम्बिकापुर।

विषय :- निविदा प्रपत्रों-आयटम रेट निविदा (फार्म-बी) एवं लम्पसम्प निविदा (फार्म-एफ) की कंडिकाओं में संशोधन।

==00==

जैसा कि विदित है दिनांक 01.07.2017 से "छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017" (जी.एस.टी.) प्रभावशील हो गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा निर्माण कार्य के लिए आयटम रेट निविदा (फार्म-बी) एवं लम्पसम्प निविदा (फार्म-एफ) के निविदा प्रपत्रों की वाणिज्य कर तथा सेल्स टेक्स से संबंधित कंडिकाओं में संशोधन आवश्यक हो गया है। तदनुसार निविदा प्रपत्रों में निम्नानुसार संशोधन किये जा रहे हैं :-

निविदा प्रपत्र – ITEM RATE TENDER, FORM – B (ENVELOPE – ‘C’)


स.क्र.	वर्तमान कंडिकाएं	संशोधित कंडिकाएं
1	Table of contents की कंडिका 2.17 में Commercial Tax	Commercial Tax के स्थान पर - Goods & services Tax अंकित किया जाये।
2	Table of contents की कंडिका 3.27 में Commercial Tax	Commercial Tax के स्थान पर - Goods & services Tax अंकित किया जाये।
3	कंडिका 2.17.1 में Seles Tax, Octroi duties, Etc	Sales Tax, Octroi duties, etc के स्थान पर - GST etc अंकित किया जाये।
4	कंडिका 2.17.3 (b) में Vanijya Kar at the rate of 2.00% (Two Percent) तथा 1.00 Lakh (One Lakh)	Vanijya Kar at the rate of 2.00% (Two Percent) के स्थान पर – GST at the rate of 2.00% (Two Percent) (in the form of CGST 1% and SGST 1% if Incorporation of company/firm/supplier etc. is in Chhattisgarh state or 2% IGST if Incorporation of company/firm/supplier etc. is in other state) अंकित किया जाये तथा Rs. 1.00 Lakh (One Lakh) के स्थान पर Rs. 2.5 Lakh (Two Lakh Fifty Thousand) अंकित किया जाये।

5	कंडिका 3.27 में Commercial Tax (Applicable to Tenders for more than Rs. One Lakh) :- When the contract is more than Rs. (One Lakh) 2.00% (Two point zero percent) Commercial Tax shall be chargeable as per clause 35 of M.P. Commercial Adhinyam 1994.	Commercial Tax (Applicable to Tenders for more than Rs. One Lakh) :- When the contract is more than Rs. (One Lakh) 2.00% (two point zero percent) Commercial Tax shall be chargeable as per clause 35 of M.P. Commercial Adhinyam 1994 के स्थान पर— GST (Applicable to Tenders for more than Rs. Two Lakh & Fifty Thousand) :- When the contract is more than Rs. 2.5 Lakhs (Two Lakh & Fifty Thousand) 2.00% (Two point zero percent) GST (in the form of CGST 1% and SGST 1% if Incorporation of company/firm/supplier etc. is in Chhattisgarh state or 2% IGST if Incorporation of company/firm/supplier etc. is in other state) shall be chargeable as per THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017 published in Chhattisgarh Rajpatra Dated 14.06.2017
6	निविदा प्रपत्र के Memorandum खण्ड में कंडिका (e) अंतर्गत 2.0% Commercial Tax	2.0% Commercial Tax के स्थान पर - 2.0% GST (in the form of CGST 1% and SGST 1% if Incorporation of company/firm/supplier etc. is in Chhattisgarh state or 2% IGST if Incorporation of company/firm/supplier etc. is in other state) अंकित किया जाये।

निविदा प्रपत्र – LUMPSUM CONTRACT “FORM – F” (ENVELOPE – ‘C’)

स.क्र.	वर्तमान कंडिकाएं	संशोधित कंडिकाएं
1	Table of contents की कंडिका 2.24 में Commercial Tax	Commercial Tax के स्थान पर - Goods & services Tax अंकित किया जाये।
2	कंडिका 2.22 में Sales Tax, Octroi duties	Sales Tax, Octroi duties duites के स्थान पर - GST अंकित किया जाये।
3	कंडिका 2.24 में Commercial Tax :- Commercial Tax (Vanijya Kar) at the rate of 2% (Two Percent)	Commercial Tax :- Commercial Tax (Vaniya Kar) at the rate of 2% (Two Percent) के स्थान पर - GST at the rate of 2.00% (Two Percent) (in the form of CGST 1% and SGST 1% Incorporation of company/firm/supplier etc. is in Chhattisgarh state or 2% IGST if Incorporation of company/firm/supplier etc. is in other state) अंकित किया जाये।

सहपत्र :- शून्य।


 प्रमुख अभियंता
 जल संसाधन विभाग
 छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्र. 4211220/निविदा/सर्कू/भाग-4/2016/10697 रायपुर, दिनांक 07/07/2017
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, निविदा प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता की ओर सूचनार्थ।
- ✓ 3. कार्यपालन अभियंता, सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।

←
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर
7/5